न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—457/2019/223 आर.टी.एक्ट (2019/00457)

1. लक्ष्मण पुत्र जीवण,
2. तुलछा पुत्र जीवण
3. सोन्या पुत्र जीवण
4. मूला पुत्र छोगा
5. झूंता पुत्र छोगा
6. वीरम पुत्र छोगा

समस्त जाति बलाई, निवासीगण—पनेर तहसील रूपनगढ,जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

2. लाडूडी पुत्री जीवण
3. रूपा पुत्री जीवण
4. सरजू पत्नी रतनलाल
5. करतार पुत्र रतनलाल
6. माया पुत्री रतनलाल
7. लाली पुत्री रतनलाल
8. नेराज पुत्री रतनलाल
9. राजूडी पुत्री रतनलाल

समस्त जाति बलाई, निवासीगण—पनेर, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर।

तरतीबी रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2019 उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 07/2016

उपस्थितः—

1. श्री दिनेश साहु, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 01.
3. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 9 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः—12.12.2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 07/2016 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 ने वर्तमान अपीलांटस व वर्तमान रेस्पोडेट संख्या 2 लगायत 9 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ के समक्ष प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया व प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों से इंकार किया। जिसके पश्चात न्यायालय ने दिनांक 29.08.2019 दोनों पक्षों की बहस सुन प्रार्थी वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डिक्री कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 07/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2 से 9 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि प्रार्थीगण को पूर्व में उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी, क्यों कि प्रार्थीगण के अभिभाषक ने प्रार्थीगण को यह कह रखा था कि उसे हर तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। जब निर्णय होगा तो सूचित कर देंगे। प्रार्थीगण को उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 09.10.2019 जब अभिभाषक द्वारा काफी दिनों तक जानकारी नहीं दी गई तो प्रार्थीगण ने अभिभाषक के पास जाकर जानकारी की तो उन्होंने बताया कि उक्त प्रकरण में दिनांक 29.08.2019 को निर्णय व डिक्री पारित की जा चुकी है। तत्पश्चात दिनांक 9.10.2019 को उक्त निर्णय की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया और उसी दिन प्रमाणित नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया और उसी दिन प्रमाणित नकल प्राप्त की व अपने अभिभाषक से यह अपील तैयार करवाकर बिना विलंब के आज पेश करवा रहा है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 385 रकबा 63 बीघा 11 बिस्वा के खातेदार है तथा उक्त आराजी अपीलांटा के स्वाामित्व कब्जे व काश्त की है। अपीलांटा ने उक्त कृषि आराजी 63 बीघा 11 बिस्वा पर कोई अवैध बजरी खनन का कार्य नहीं किया है। अपीलांटस ने उक्त वादग्रस्त आराजी में उगी हुई छोटी झाडियों व बबूल के कारण कृषि कार्य करने में आ रही परेशानी के कारण उक्त आराजी में खडी छोटी झाडियों को हटाया है, ताकि अपीलांटस की खातेदारी की आराजी में कृषि कार्य आसानी से किया जा सके, परंतु उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ ने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2019 पारित कर दिया। अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने जवाब के समर्थन गिरदावरी सम्वत 2071–2074 पेश की। जिसमें फसल काश्त और पडत के अलावा अवैध बजरी खनन का कहीं भी ब्यौरा नहीं दर्शाया गया है। अपीलांट ने उक्त कृषि आराजी पर कोई अवैध बजरी खनन का कार्य नहीं किया है तो भूमि के स्वरूप का बदलना तथा भूमि की मृदा को नष्ट व खुर्द बुर्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अपीलांट अपनी भूमि पर निरंतर कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। जो कि उनके द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी सम्वत 2071–2074 स्पष्ट साबित है। ऐसी स्थिति में अपीलांटस के खातेदारी अधिकार समाप्त करने व भूमि को रस्पोडेंट संख्या 1 के नाम दर्ज नहीं किया जा सकता था। परंतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ ने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2019 पारित कर दिया। अपीलांट ने उक्त कृषि आराजी 63 बीघा 11 बिस्वा पर कोई अवैध बजरी खनन का कार्य नहीं किया है केवल मात्र कृषि कार्य में ही उपयोग उपभोग के काम में लिया जा रहा है। केवल बदनीयती पूर्वक एवं अपीलांटस को नुकसान पहुंचाने की नियत रखते हुए अपीलांटस को बिना सूचित किए पटवार हल्का पनेर ने उक्त खसरा नम्बर की मौका रिपोर्ट तैयार की जिसके आधार पर तहसीलदार रूपनगढ ने अपीलांटस को नुकसान पहुंचाने की नीयत से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। अपीलांटस ने अपनी खातेदारी आराजीयात के किसी भी जगह पर कोई गड्डा भी किया है तो बरसाती पानी को एकत्रित कर अपने खातेदारी आराजी की सिंचाई हेतु किया है। अपीलांट एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा उक्त आराजी में काश्त करके अपने परिवार का लालन पालन करते चले आ रहे है परंतु उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ ने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2019 पारित कर दिया। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा पारित आदेश निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2019 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं– 2011(2)आर.आर.टी. पेज1141, 2011(2) आर.आर.टी.पेज1144, 2008(2) आर.आर.टी. पेज 1090, 2008(2)आर.आरटी.पेज 1095 ,2011(1)आर.आर.टी. पेज 137, 2011(1) आर.आर.टी पेज 139, 2011(1)आर.आर.टी. पेज93, 2011(1)आर.आर.टी.पेज 98 .

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब/ बहस अपील में कथन किया कि खसरा नम्बर 385 रकबा 63–11 बीघा वाके ग्राम पनेर पटवार हल्का पनेर तहसील रूपनगढ जिला अजमेर में स्थित है। जिस पर अप्रार्थी भूमिधारक है। आराजी कृषि भूमि है, प्रार्थी कृषि के अलावा अन्य कोई अकृषि कार्य करने हेतु अधिकृत नहीं है। दिनांक 23.06.2016 को नायब तहसीलदार रूपनगढ हलका पटवारी पनेर द्वारा तहसील रूपनगढ से होकर गुजरने वाली रूपनदी के गांव में खनिज बजरी के अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम हेतु चैकिंग की गई तो वादग्रस्त खसरा नम्बर पर पुराना खनन पाया गया। चैकिंग के दौरान एल0एन0टी मौके पर पाई गई जिसे थानाधिकारी रूपनगढ को सुपूर्दगी में दी गई। अप्रार्थी द्वारा अपने वाद–पत्र के समर्थन में मौका पर्चा दिनांक 23.6.2018 जमाबंदी सम्वत 2071–2074 पेश किए है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में अवैध शनन कार्य कर अवैध रूप से बजरी खनन कार्य किया जा रहा है। जो नियम विरूद्ध है। इस प्रकार यह स्वष्ट तौर पर प्रार्थीगण का कृत्य कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने की श्रेणी में आता है। प्रार्थीगण को यह अधिकार नहीं है कि वह भूमि के स्वरूप को बदलेगा अथवा भूमि की मृदा को नष्ट, खुर्द–बुर्द कर सके। प्रार्थीगण द्वारा वाद अधीन भूमि पर अकृषि कार्य अवैध बजरी खनन कार्य करने से नियमानुसार प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त किए जाकर प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल किया जाकर भूमि को भूमि धारक के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार, रूपनगढ़ के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

धारा 177 राज.काश्तकारी अधिनियम अंकित तथ्यों को सही मानते हुए, विधि सम्मत आदेश पारित किये है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम प्रार्थी/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि. का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किए है वे उचित प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को प्रकरण के गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । **अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।**

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 385 रकबा 63 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम पनेर पटवार हल्का पनेर तहसील रूपनगढ़ अपीलांटस एवं तरतीबी रेस्पो0 की खातेदारी की आराजियात है। उक्त आराजियात कृषि भूमि है जिस पर अपीलांटस द्वारा खनन किया जा रहा है । अपीलांटस का उक्त कृत्य कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने की श्रेणी में आता है। उक्त तथ्य की पुष्टि परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का पनेर द्वारा तैयार मौका पर्चा दिनांक 23.06.2016 से होती है जिसके अनुसार पटवारी हल्का ने मौके पर खसरा नंबर 385 रकबा 63 बीघा 11 पर एल0एन0टी0 पाई है तथा मौके पर पुराना खनन पाया है । पटवारी हल्का की इस रिपोर्ट पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है । विधिनुसार कृषि भूमि पर अकृषि कार्य अवैध बजरी खनन कार्य करने पर खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर उक्त भूमि से खातेदार को बेदखल कर भूमि को राज्य हित में लिये जाने के प्रावधान है । हस्तगत प्रकरण में अपीलांटस द्वारा विवादित कृषि भूमि पर अकृषि कार्य किए जाने से परीक्षण न्यायालय ने विवादित भूमि से अपीलांटस खातेदार को बेदखल कर विवादित भूमि को राज्य हित में दर्ज करने के आदेश पारित किये है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है ।

10. परिणामत् अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.8.2019 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर